

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-प्रारं/नियु.प्रको./नियु.-2/अध्या.भर्ती 2021-22/ले-1/पात्रता/दस्ता.सत्या./2022 दिनांक 28/11/22

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्
वाड़मेंर

विषय:- राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती 2021-22 अन्तर्गत गैर-अनुसूचित क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल-प्रथम सामान्य शिक्षा/विशेष शिक्षा के पद पर अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र के सत्यापन/पात्रता जाँच किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती 2021-22 अन्तर्गत गैर-अनुसूचित क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल-प्रथम सामान्य शिक्षा/विशेष शिक्षा के पद पर खेल कोटे से चयनित अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र संबंधित फेडरेशन/संघ/खेल मंत्रालय से सत्यापन करवाया गया है।

इस संबंध में लेख है कि कमला कुमारी वरीयता क्रमांक 9226 उक्त भर्ती अन्तर्गत चयनित खेल कोटे से अभ्यर्थी का प्रमाण-पत्र ताईक्वान्डो फेडरेशन ऑफ इण्डिया से सत्यापन रिपोर्ट सही पाई गई है, अतः ऐसे अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने की स्थिति में नियुक्ति संबंधी कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस सम्बन्ध में यह भी सनद रहे कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: प. 2(1)कार्मिक/क-2/अं.प्र./91 दिनांक: 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 9.1(i) के निर्देशों की पालना में उक्त अभ्यर्थियों की मूल वरिष्ठता उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम नियमों के अधीन बनाई गई चयन सूची में अंकित हैं।



(गौरव अग्रवाल)


I.A.S.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा वाड़मेंर
2. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
3. अनुभाग अधिकारी, निजी अनुभाग कार्यालय हाजा।



उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कायालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 01/2021-22 दिनांक: 31-12-2021 के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 के नियम-277(क) के उपनियम-(VI) के तहत आदेश क्रमांक: शिविरा-प्रारं/नियु.प्रको./नियु-2/982/अध्या.भर्ती, 2021-22/गैर अनु./ले-1/सा.शि./2022 दिनांक: 01.05.2022 के द्वारा पूर्णतया अस्थाई (प्रोविजनल) चयन आदेश जारी किया गया था। अध्यापक लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा के पद पर पूर्णतया अस्थाई चयनित अभ्यर्थी जिनके जिला आवंटन दिनांक 02.05.2022 के द्वारा रोके गये थे, में से निम्नांकित को उनके नाम के आगे अंकित जिला आवंटित किया जाता है :-

S.N.	Application_No	MERIT NO	Candidate_Name	Father_Name	Gender	DOB	Category	SEL_CAT	SEL_GEN	SEL_SP L	ALLOTTED DISTRICT
1	202218444026	9226	KAMLA KUMARI	MOHAN LAL	Female	34469	OBC-NCL	OBC	F	SP	BARMER

उक्त भर्ती अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा के पदों पर प्रोविजनल चयनित उक्त अभ्यर्थियों का जिला आवंटन तथा नियुक्ति/पदस्थापन सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 20743/2021 देवेश कुमार शर्मा बनाम भारत संघ व अन्य कनेक्टेड याचिकाएँ, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन डी.बी. सिविल (पीआईएल) रिट याचिका संख्या 2487/2022 एबीवीपी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा समान विषयक दायर अन्य कनेक्टेड याचिका संख्या 5078/2022, 4721/2022, 5079/2022, 5076/2022, 5077/2022 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में उक्त भर्ती के संबंध में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

(गौरव अग्रवाल)

I.A.S.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज.(प्रा.शिक्षा.)
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-प्रारं/नियु.प्रको./नियु-2/982/अध्या.भर्ती,2021-22/गैर अनु./ले-1/सा.शि./2022 दिनांक: 28.10.2022

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशेष सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. विशेष सहायक, माननीय शिक्षा(राज्यमंत्री) महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, आतिरेकत मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. उपायुक्त, शालादपेण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
11. उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाडमेर को प्रेषित कर लेख है उक्त भर्ती के अंतर्गत समय-समय पर जारी आदेशों के तहत अभ्यर्थी के नियुक्ति/पदस्थापन की नियमानुसार कार्यवाही करे।
13. जिला शिक्षा अधिकारी(मु.), प्रारम्भिक शिक्षा, बाडमेर को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज/आवेदन संबंधित जिला परिषद को उपलब्ध करवाये जावे।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा(विधे) जोधपुर/जयपुर।
15. संक्षेप पत्रावली।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर